ग्रामीण गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 अमिता सिंह*

स्वतन्त्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक योजनाओं की घोषणाएं की। इन योजनाओं से ग्रामीण भारत का चेहरा तो बदलेगा ही आने वाले समय में अनेक समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी।[01] भारत एक विकासशील कृषि प्रधान एवं ग्रामो का देश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कथन कि– ''भारत गांवों का देश है और इसकी आत्मा गांवों में बसती है'' उनके ग्रामीण विकास के प्रति लगाव, जुड़ाव एवं महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अवधारणा के अनुसार अगर कहा जाय कि ग्रामीण विकास के बिना भारत का विकास सम्भव नहीं है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।[2]

गाँव का तात्पर्य घरों के उस समूह से है जिसकी एक निश्चित स्थानीय सीमा तथा एक नाम होता है। गांव की सीमा में वह समस्त जमीन आती है जिस पर गांव के लोग रहते हैं, कृषि करते हैं पशु चराते हैं तथा अन्य कार्यो के लिए उसका उपयोग करते है। यह एक ऐसा लघु समुदाय है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समरूपता लिए होता है तथा जहाँ प्राथमिक समूहों तथा अनौपचारिक सम्बन्धों को प्रधानता होती है।[3] गरीबी एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक, किन्तु कभी–कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव भी होता है, गरीबी कहते हैं। गरीबी को निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूप में परिभाषित किया जाता है। निरपेक्ष अर्थ में यह एक ऐसी दशा है जिसमें एक व्यक्ति के जीवन निर्वाहके लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव या कमी होती है। सापेक्षिक अर्थ में समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति या समूह के पास संसाधनों के अभाव या कमी की स्थिति को गरीबी कहते है।[4]

भारत में अब चल रही बड़े पैमाने की विकास योजनाएँ मुख्यतः तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन की योजनाएं है। जैसे–जैसे ये योजनाएं वास्तविकता में बदलेंगी वैसे–वैसे ये सामाजिक संगठन को प्रभावित करेगी और उससे प्रभावित होंगी। ऐसा पारस्परिक प्रभाव भारतीय समाज के कई पक्षों में अब अनुभव किया जा रहा है। इस लेन–देन के कई मोटे–मोटे चलन जैसे कि संयुक्त परिवार, जातिगत ढाँचे, गांव के संगठन और गाँव वालो और सरकार के बीच सम्बन्धों में वे दिखाई देते हैं– इंगित किए जा सकते है।[5] ग्रामीण विकास प्रयासों की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन काल में शासन का यह दायित्व माना ही नहीं जाता था। भारत में एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ था जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम एक स्वावलम्बी, स्वयं पूर्ण और स्वशासित इकाई के रूप में विकसित होता था। दसवीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ भारत की स्थायी संवेदनशील समाज व्यवस्था के विकास में बाधा निर्मित होने लगी। स्वतंत्रता पूर्वकाल में शासकीय तथा अन्य संस्था व कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण विकास के प्रयास किए गए।[6]

भारत में आम व्यक्ति, अन्य विकासशील देशों की तरह अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एवं अपने राष्ट्र के लिए उच्च जीवन स्तर की अपेक्षा करता है। विशेषीकृत अपेक्षाएँ निःसन्देह व्यक्ति से व्यक्ति एवं क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होती है, लेकिन सारे विश्व में जीवन की भौतिक दशाओं में सुधार की अपेक्षाओं में समानता है। लोग यह चाहते एवं अपेक्षा रखते है कि उन्हें बेहतर भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा सुरक्षित जीवन एवं दासता से मुक्ति मिलें। यही अपेक्षाओं का परिभ्रमण है जिसने तीसरी दुनिया के देशों को समेट रखा है।[7] भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने तथा देश का योजनाबद्ध विकास करने के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम लागू किये गये, वे सभी कार्यक्रम सामाजिक न्याय साथ ही विकास करने के मौलिक सिद्धान्त पर आधारित है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में ग्रामीण विकास के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों से कुछ सफलता अवश्य मिलीं लेकिन इन सफलताओं के

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

साथ क्षेत्रीय असन्तुलन, सामाजिक असमानताओं तथा आर्थिक विषमताओं की नयी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। यह महसूस किया जाने लगा कि एक कल्याणकारी राज्य का सपना तभी साकार हो सकता है जब समाज के निर्धनतम वर्ग की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही उनकी सामाजिक सिथति में सुधार किया जाय। तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सन् 1975 में एक विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसमें ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कुछ प्रमुख प्रयासों को अधिक महत्व देकर इसे ''बीस सूत्री'' कार्यक्रम का नाम दिया गया। 14 जनवरी 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक नये बीस–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। सन् 1975 में बीस–सूत्री कार्यक्रम में जहाँ 24 कार्यक्रमों में से 10 कार्यक्रमों का ग्रामीण विकास से कोई सम्बन्ध नहीं था, वहीं 1982 के बीस–सूत्री कार्यक्रम में केवल 4 कार्यक्रम ऐसे थे जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र से पृथक थे।[8]

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999–2000 में सरकार द्वारा योजनाओं की संख्या में कमी लाने और एक समन्वित योजना की शुरूआत करने के उद्देश्य से गामीण विकास की छः प्रमुख योजनाओं– आई0आर0डी0 ट्राईसेम सिट्रा, जी0के0 वाई0 ड्वाकरा तथा मिलियन वैल स्कीम के स्थान पर ''स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना'' नाम की एकल योजना की घोषणा की। वर्ष 1999–2000 के बाद सरकार द्वारा गरीबों और वंचित वर्गों हेतु जिन नई–नई योजनाओं की घोषणा की गई है जो तालिका संख्या – 01 द्वारा स्पष्ट है–

तालिका संख्या–01

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी/विकास की नई योजनाएं

क्रम	योजना का नाम	योजना के मुख्य लक्ष्य	अन्य विवरण
1.	खेतिहर मजदूर बीमा योजना।	खेतिहर मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना।	वर्ष 2000–2001 के बजट सत्र में घोषित
2.	शिक्षा सहयोग बीमा योजना।	गरीबी की रेखा से नीचे कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को 100 रूपये प्रतिमाह शिक्षा भत्ता प्रदान करना।	इस योजना की घोषणा 2000–2001 में।
3.	आश्रय बीमा योजना।	विस्थापित श्रमिकों हेतु स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	2000–01 के बजट सत्र से।
4.	शैक्षणिक ऋण योजना (ज्ञान ज्योति)।	देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को ।	2000–01 के बजट सत्र में।
5.	किशोरी शक्ति योजना।	चिन्हित किशोरियों को पोशाहार देने के साथ–साथ स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।	आई0सी0डी0एस0 III कार्यक्रम के अन्तर्गत।
6.	सर्व शिक्षा अभियान	6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना।	सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा घोषणा।
7.	महिला स्वाधार योजना।	कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।	जुलाई 2001 में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा की गयी।
8.	महिला स्वयं सिद्ध योजना।	महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करना।	पूर्व से संचालित इन्दिरा महिला योजना के स्थान पर महिला स्वयं सिद्ध योजना संचालित की जा रही है।

9.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।	ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना तथा वहाँ गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।	योजना की घोषणा 15 अगस्त 2001 में की गई नगद राशि के साथ–साथ अनाज भी दिया जाएगा।
10.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना।	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करना।	15 अगस्त 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा ।
11.	महिला उद्यमियों हेतु ऋण	महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराना	15 अगस्त 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा।
12.	जय प्रकाश नारायण रोजगार गारन्टी योजना।	देश के सर्वाधिक गरीबी वाले जनपदों में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना।	फरवरी 2002 में वित्त मंत्री द्वारा
13.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना।	केन्द्र सरकार द्वारा 01 अगस्त 2003 में घोषणा।
14.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा	गरीबों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बीमा सुरक्षा प्रदान करना।	वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2003 को घोषित तथा 14 जुलाई 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।
15.	जननी सुरक्षा योजना	गर्भवती महिलाओं को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बच्चे के जन्म पर नकद सहायता उपलब्ध कराना।	अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2003) को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा घोषित।
16.	रोजगार गारन्टी योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गरीब परिवार में से एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना।	देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की भयावहता को कम करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा घोषित।
17.	वन्देमातरम् योजना।	गर्भवर्ती महिलाओं की प्रत्येक माह मुफ्त जांच तथा आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना।	केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 2004 द्वारा लागू।
18.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना।	शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं का शैक्षिक पिछड़ापन दूर करना।	केन्द्रीय भत्ता द्वारा 2001 में स्वीकृति।
19.	काम के बदले अनाज योजना।	देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलो के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सम्बर्द्धन तथा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।	केन्द्र सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2004 से देश के 150 पिछड़े जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
20.	दुर्घटना बीमा योजना।	छोटे किसानों को बिना किसी प्रीमियम के दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना।	जनवरी 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित।

इन योजनाओं के अतिरिक्त भी वर्तमान समय में ग्रामीणों व गरीबों के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलायी गयी है जो निम्न है–

प्रधानमंत्री जन–धन योजना –

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के 28 अगस्त 2014 को शुरूआत, 17 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गये, 29 जुलाई 2015 तक खातों में 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक की बचत राशि। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीबों को बैंक खाते की सुविधा से जोड़ना व उनको आर्थिक मदद देना था। [10]

सांसद आदर्श ग्राम योजना –

लोकनायक जय प्रकाश की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेनद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारम्भ किया जिसके तहत सांसदों द्वारा एक गांव को गोद लेने की योजना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना संसद के दोनों सदन के सांसदों के लिए है। इसके अन्तर्गत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गांव को चिन्हित करेगें व इस गांव को 2016 तक आदर्श गांव की तरह विकसित करना है।[11]

स्त्री–शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न येाजनाएं –

स्त्री शिक्षा के विकास हेतु केन्द्र सरकार निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम संचालित कर रही है– विशेष आवासीय विद्यालय योजना, बालिका प्रोत्साहन राशि योजना, अल्पसंख्यकों हेतु नई छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पालनाघर योजना, विकलांग बच्चों हेतु रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना, स्नातकोत्तर प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, एकल बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना।

उत्तर प्रदेश द्वारा बालिका श्री योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, छात्राओं हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना, हरियाणा द्वारा लाडली बेटी योजना, मध्य प्रदेश द्वारा गांव की बेटी योजना, छत्तीसगढ़ द्वारा एकलव्य विद्यालय योजना, मेघावी बालिकाओं हेतु निःशुल्क स्कूटर योजना इत्यादि प्रमुख हैं।[12]

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सकल) –

आई0सी0डी0एस0 के ढांचे का इस्तेमाल करते हुए 2010–11 में सरकार ने सबला योजना शुरू की जो किशोरियों के लिहाज से बेहद अहम है। इसके तहत 11 से 18 साल की सभी लड़कियों को पोषक आहार प्रदान कराया जाता है और 14 से 18 वर्ष की स्कूली लड़कियों पर खास जोर दिया जाता है। उसके तहत उन्हें पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन, बच्चों की देखरेख और जीवन–कौशल के बारे में जागरूक भी किया जाता है। [13]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन –

इस मिशन का शुभारम्भ 12 अप्रैल 2005 को दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सस्ती, सुगम और गुणवक्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य समुदाय आधारित विकेन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली का विकास करना है ताकि ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा सके। यही नहीं इस मिशन के तहत जल शिक्षा पोषण व लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण तत्वों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।[14]

किसान क्रेडिट कार्ड योजना –

कृषकों को कृषि क्षेत्र से विमुख होने से रोकने और साहूकारों को उच्च व्याज दरों के ऋण के जाल में बचाने के लिए उन्हें अल्पकालीन सुविधापूर्ण ऋण प्रदान करने हेतु 1998 में किसान क्रेडिट योजना का शुभारम्भ किया गया। इसके तहत अल्पकालीन ऋण सुविधाजनक तरीके से मुहैया कराया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिये जाते है।[15]

पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में नयी पहल –

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत करते हुए पेयजल स्वच्छत पर विशेष जोर दिया। इतना ही नहीं सरकार नदियों, रेलवे स्टेशनों, पर्यटन केन्द्रों

और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत करते हुए 2019 तक स्वच्छ भारत निर्मित करने का लक्ष्य रखा है।

भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छता कवरेज 46.9 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह औसत केवल 30 प्रतिशत है।[16]

ग्रामीणों के लिए अद्भुत है आधार –

मानव क्षमता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सरलता एवं प्रभाविता से पहचान स्थापित करना। आधार परियोजना का प्रमुख कदम है जो पहचान स्थापित करने हेतु बायोमैट्रिक आंकड़े हासिल करते हुए विशिष्ट पहचान संख्या (यू0आई0डी0) प्रदान करता है। पहचान स्थापित करना कठिन कार्य है, विशेषकर गरीबों के लिए जब वे अपने मूल स्थान से स्वेच्छा से अथवा मजबूरी में किसी अन्यत्र स्थान पर जाते है।[17]

मेक इन इण्डिया –

प्रधानमंत्री– ''मैं दुनियाभर के लोगों से अपील करना चाहता हूं, कम मेक इन इण्डिया– आइये हिन्दुस्तान में अपने उत्पादों का निर्माण कीजिये।''

25 सितम्बर 2014 को मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की शुरूआत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 48 प्रतिशत का इजाफा। बेसलाइन प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया का नम्बर 1 निवेश गंतव्य।[18] **''भारत में बनाओं''** अभियान के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेनद्र मोदी का बहुआयामी विचार परिलक्षित होता है। यह एक दूरदर्शी सोच है ''भारत को बनाओं'' का भाव ''भारत में बनाओं'' के भाव में निहित है– ''मेक इन इण्डिया'' अभियन की सफलता से ''मेड इन इण्डिया'' का स्वर्णिम स्वप्न पूरा होगा। 'मेड इन इण्डिया' अंकित उत्पादों को भारत में बनाओं, उत्पादन बढ़ाओं आज यह एक सुखद पहल है। 'मेड इन इण्डिया' का संदेश है – ''अपना सामान बनाओं दुनिया भर में पहुंचाओं।'' उत्पादन बढ़ाओं रोजगार के अवसर पैदा करो, क्रयशक्ति बढ़ाओं और विकास प्रक्रिया में सबाको लाभ दो।[19]

ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं –

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान इत्यादि को पूरा परियोजनाओं में शामिल किया जायेगा।[20]

राष्ट्रीय कृषक आयोग एवं नई राष्ट्रीय कृषि नीति –

किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए वर्ष 2004 में डॉ0 एम0एस0 स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग ने दिसम्बर 2004, अगस्त 2005, दिसम्बर 2005, अप्रैल 2006 तथा अक्टूबर 2006 में अपनी पांच अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में किसानों के लिए एक विस्तृत नीति के निर्धारण की संस्तुति की गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार को सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को विशेषतः वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित समय पर प्राप्त हो सके।[21]

पर्यटन विकास को बढ़ावा –

टूरिज्म को बढ़ावा देने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि टूरिज्म से गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो–रिक्शा वाला भी कमाता है, पकौड़े बेचने वाला भी कमाता है और एक चाय बेचने वाला भी कमाता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है।[22]

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी भारी–भरकम निवेश की जरूरत नहीं पड़ती। गांवों में बिखरी हमारी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत तथा लोक कलाएं ही इसके प्रमुख निवेश है। जरूरत इस बात की है कि इनकी विस्तृत जानकारी पर्यटकों तक पहुंचे और गांवों में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। ग्रामीणों को विदेशी और देश के शहरी पर्यटकों के आतिथ्य का हुनर सिखाकर उनकी जिन्दगियों को बेहतर बनाया जा सकता है।[23]

गांवों में ई–शासन की व्यवस्था –

समाज के अंतिम तबके तक सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 90 के दशक के अन्त में ई–शासन योजना का शुभारम्भ किया। उसके बाद केन्द्र सरकार ने भारत में ई–शासन पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई–शासन योजना को 18 मई 2006 को स्वीकृति प्रदान की। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई–शासन योजना का खाका तैयार किया। इस तरह अब ई–शासन के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य रूप से करीब 30 सूत्रीय कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। इन प्रमुख 30 सूत्रीय कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत प्रशासन, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य पालन, सामाजिक कार्य, चुनाव, लघु उद्योग, हाउसिंग, सड़क निर्माण, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, स्वास्थ्य, परिवार, कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, मजदूर कल्याण, लोक कल्याण आदि को शामिल किया गया है। इस तरह ग्राम पंचायतें ई–शासन के जरिये अपनी प्रशासनिक क्षमता का भी विकास कर रही है।[24]

ई–पंचायत की पृष्ठभूमि –

विश्व बैंक के अनुसार ई–शासन से तात्पर्य सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसी सूचना प्रौद्योगिकियों (जैसे कि विस्तृत नेटवर्क क्षेत्र, इंटरनेट और मोबाइल कम्प्यूटिंग) का प्रयोग है जिससे नारगरिकों और व्यापार और सरकार के अन्य विभागों के बीच सम्बन्ध स्थापित है। एनईजीपी (राष्ट्रीय ई–शासन योजना) ''जन साधारण को उसके स्थान पर सामान्य सुपुर्दगी केन्द्रों के द्वारा सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहनीय लागत पर ऐसी सेवाओं की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना'' था।[25]

कौशल विकास मिशन –

''स्किल डेवलपमेंट'' और ''स्किल्ड इण्डिया'' यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मिशन है कि हिन्दुस्तान के कोटि–कोटि नौजवान स्किल सीखें, हुनर सीखे। इस मिशन की शुरूआत 15 जुलाई 2015 को हुई जिसका उद्देश्य है कि अगले सालों में 40 करोड़ भारतीयों को कौशल प्रदान करना।[26]

वित्तीय सशक्तिकरण –

30.600 करोड़ रूपये की जमा के साथ 20 करोड़ बैंक खाते खुले– प्रधानमंत्री जन धन योजना में। भविष्यको सुरक्षित बनाने के लिए 12.5 करोड़ बीमा और पेंशन पालिसियों के लाभ उठाएं गए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना। 2.2 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों को 85,000 करोड़ रूपये से अधिक ऋण दिये गये – मुद्रा। [27]

डिजिटल इण्डिया –

''यह आई0टी0 है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने की क्षमता है। हम ''डिजिटल इण्डिया'' के माध्यम से एकता के मंत्र को साकार करना चाहते हैं।''

1 जुलाई 2015 को डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को शुरूआत योजना के जरिये भारत को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का प्रयास, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण जिससे आयात में कमी आयेगी, 75 विलियन डॉलर का प्रस्तावित निवेश।[28]

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन –

भारत सरकार की फसल विकास योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत अगस्त 2007 में हुई। यह मिशन देश के 17 राज्यों के 311 जिलों में लागू है। 11वीं योजना में इस मिशन के लिए कुल परिव्यय 4882.5 करोड़ रूपये हैं। इस योजना का उद्देश्य 2011–12 के अंत तक चावल गेहूं और दलहन का उत्पादन क्रमशः 10 मिलियन टन 4 मिलियन एवं 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है।[29]

''बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं'' योजना –

केन्द्र सरकार की इस योजना में लड़कियों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान की रणनीति निहित है। घटते लिंगानुपात से निपटने के लिए सरकार ने इस योजना को आरम्भ में 100 संवेदनशील जिलों में लागू किया है जहां लिंगानुपात बहुत कम है। इस योजना के लिए आरम्भ में 100 करोड़ रूपये आवंटित किए गये।[30]

सुकन्या समृद्धि योजना –

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी पैदा होने के बाद कभी भी उसके नाम जब तक कि वो दस साल की नहीं हो जाती, एक हजार रूपये की न्यूनतम राशि के साथ खाता खोला जा सकता है। इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रूपये जमा कराये जा सकते है। ये खाते किसी भी डाकखाने या बैंक की किसी भी अधिकृत शाखा में खोले जा सकते है। ये खाते लड़की की उम्र 21 साल होने तक या फिर लड़की के 18 साल के होने के बाद शादी होने तक चालू रहेंगे।[31]

निकर्ष –

भारत के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए व गरीबों के उत्थान व विकास के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की है जिनके लिए किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे। पहले से चलने वाली योजनाओं को संवारने के साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित चालू की गई अन्य योजनाओं ने किसानों व गरीबों को ताकत दी है जिनमें प्रमुख योजनाएं है– प्रधानमंत्री जन–धन योजना, मेक इन इण्डिया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इण्डिया, कौशल विकास मिशन, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मिड–डे–मिल योजना इतना ही नहीं केन्द्र और राज्य सरकारों ने लड़कियों के लिए और भी योजनाएं बनाई जिससे उनमें आगे बढ़ने की ललक बढ़ी इसमे नेशनल मैरिट–कम–मींस स्कालरशिप योजना प्रमुख है। केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गई इस योजनाके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर समूह के मेघावी छात्र–छात्राओं को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लागू की गई। गरीब परिवार के बच्चों को इसके अन्तर्गत 500/– रूपये दिये जाते है।

ग्रामीण भारत ने हाल के बरसों में महिलाओं के जीवट आगे बढ़ने की ललक और प्रतिभा की छाप छोड़ने की कई मिसाले कायम की हैं। तमाम ऐसी महिलाएं उभर कर सामने आई हैं, जो गांव की दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनी और स्त्री सशक्तीकरण की अवधारणा को सही मायनों में आगे बढ़ाया। बालिका विकास पर भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद से अनेक परिवर्तन हुए हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब बालिकाओं के कल्याण से हटकर बालिकाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई। आठवीं योजना में पुनः विकास प्रक्रिया में बालिकाओं को समान भागीदार बनाने पर जोर दिया गया। आज समावेशी विकास पर हमारा ध्यान केन्द्रित है। ऐसे में बालिकाओं के सशक्तीकरण के प्रति हमारी जागरूकता में और वृद्धि हुई है। समाज के निचले स्तर से बालिकाओं का सशक्तीकरण होना चाहिए और इसके लिए उनके प्रति मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन के साथ–साथ उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों और सभी क्षेत्रों में गरीबी की, गरीबों का तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों और रोजगार सृजन योजनाओं का तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना होगा अब समय का तकाजा है कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं की प्राथमिकता पुनः नए सिरे से निर्धारित की जाय और संसाधनों का आवंटन इन प्रकार से किया जाय कि सही समयपर सही तरीके से सही लोगों और सही क्षेत्रों तक पहुंच सकें।

संदर्भ ग्रन्थ–सूची

1. देवेन्द्र उपाध्याय, भारत के सर्वांगीण विकास की व्यापक योजनाएं, कुरूक्षेत्र, वर्ष 60, अंक 12, अक्टूबर 2014, पृ0सं0–8
2. राकेश कुमार, गोडीवाल ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका कुरूक्षेत्र, वर्ष 60 अंक 04, फरवरी 2014, पृ0सं0–9
3. रावत हरिकृष्ण, उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश रावत, पब्लिकेशन्स, संस्तरण 2014, पृ0सं0– 550
4. उपरोक्त पृ0सं0– 369
5. एम0एन0वी0 निवास, भारत के गांव, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरी आवृत्ति 2011, पृ0सं0–20
6. डॉ0 रा0शि0 शिवलकर, भारत में ग्रामीण विकास की कथा और व्यथा, कृषि आर्थिकी अनुसंधान केन्द्र भारतीय किसान संघ दिल्ली, प्रथम संस्करण 1989, पृ0सं0– 2–3

7. सिंह कटार, ग्रामीण विकास सिद्धान्त, नीतियां एवं प्रबन्ध अनुवादक– यतीन्द्र सिंह सिसोदिया, सेज, रावत पब्लिकेशन्स, संस्तरण 2011, पृ0सं0–06
8. अग्रवाल गोपाल कृष्ण पाण्डेय शील स्वरूप, ग्रामीण समाजशास्त्र, एस0बी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाऊस आगरा, नवम् संस्करण 2008, पृ0सं0– 358–359 तक।
9. डॉ0 उमेश चन्द्र अग्रवाल, ग्रामीणों, गरीबों और निर्बल वर्गो के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं– एक समीक्षा, कुरूक्षेत्र, वर्ष 51 अंक 10, अगस्त 2005, पृ0सं0– 6 से 9 तक।
10. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, 69वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2015, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61 अंक 11, सितम्बर 2015, पृ0सं0– 26–27 ।
11. लल्लन कुमार महतो, सांसद आदर्श ग्रामयोजना गांवों को शहरों से जोड़ने की अनूठी पहल, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61 अंक 04, फरवरी 2015, पृ0सं0– 8 से 9 तक।
12. दयाशंकर सिंह यादव, भारत में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों से महिला सशक्तीकरण, योजना, वर्ष 60, अंक 1 जनवरी 2016, पृ0सं0–52
13. ऋषभ कृष्ण सक्सेना, बालिका सशक्तीकरण हेतु योजनाओं का आंकलन, कुरूक्षेत्र, वर्ष 62, अंक 03, जनवरी 2016 पृ0सं0–11–12
14. डॉ0 के0एम0 मोदी, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु उठाए गए कदम, कुरूक्षेत्र ग्रामीण स्वास्थ्य, वर्ष 58, मासिक अंक 10, अगस्त 2012, पृ0सं0–23
15. सौरभ कुमार, ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए समग्र वित्तीय समावेश, कुरूक्षेत्र वर्ष 60, मासिक अंक 02 दिसम्बर 2013, पृ0सं0 5–6
16. साधना यादव, पेयजल एवं स्वास्थ्य, कुरूक्षेत्र वर्ष 61, अंक 7, मई 2015, पृ0सं0–8
17. अमित नारायण यादव, नई खोज एवं तकनीकी में सरकारी पहल, कुरूक्षेत्र वर्ष 60, अंक 09, जुलाई 2014, पृ0सं0 14–15
18. पूर्वोक्त, पृ0सं0–26
19. डॉ0 राकेश अग्रवाल, मेक इन इण्डिया, दूरदर्शी अभियान, कुरूक्षेत्र वर्ष 61 अंक 02, दिसम्बर 2014, पृ0सं0–25
20. सविता कुमारी, सार्वजनिक– निजी भागीदारी द्वारा ग्रामीण विकास, कुरूक्षेत्र वर्ष 60, अंक 04 फरवरी 2014, पृ0सं0–20
21. डॉ0 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय कृषि का व्यवसायीकरण जरूरी, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 03, जनवरी 2015, पृ0सं0–20
22. देवेन्द्र उपाध्याय, भारत के सर्वांगीण विकास की व्यापक योजनाएं, कुरूक्षेत्र वर्ष 60 अंक 12, अक्टूबर 2014, पृ0सं0–09
23. पार्थिव कुमार, पर्यटन विकास से बढ़ेगें गांवों में रोजगार, कुरूक्षेत्र, उपरोक्त, पृ0सं0– 16–17
24. अखिलेश चन्द्र, ई–शासन से बेहतर हुआ गांवों का प्रशासन, कुरूक्षेत्र, गांवों में बेहतर प्रशासन, वर्ष 57 अंक, 10, अगस्त 2011 , पृ0सं0–15
25. सविता कुमारी, ई–पंचायतों से सशक्त होती पंचायते, कुरूक्षेत्र, वर्ष 62, अंक 01, नवम्बर 2015, पृ0सं0 20–21
26. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 69 वां स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2015) को कुरूक्षेत्र, पृ0सं0 26–27
27. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, विकास की नई उड़ान 67वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016, पाञ्चजन्य 7 फरवरी 2016 , पृ0सं0 26–27
28. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, कुरूक्षेत्र
29. डॉ0 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, कृषि का व्यवसायीकरण जरूरी, कुरूक्षेत्र वर्ष 61, अंक 03, जनवरी 2015, पृ0सं0–21
30. ऋषभ कृष्ण सक्सेना, बालिका सशक्तीकरण हेतु योजना का आंकलन, कुरूक्षेत्र वर्ष, 62 अंक 03 जनवरी 2016, पृ0सं0–12
31. उमाशंकर मिश्र, अब बेटी भी खुल के बोलेगी, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 08, जून 2015, पृ0सं0–29